(13) ~~38~~

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 69-I/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–10–2010 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 509/2009–10/ निगरानी ।

रामवती बाई पत्नी राजपाल यादव
निवासी ग्राम रातीखेड़ा परगना व
जिला–अशोकनगर (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

म0प्र0शासन

..... अनावेदक

.....

श्री एस0पी0 धाकड़, अभिभाषक आवेदकगण

श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, पेनल अभिभाषक शासन अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 11/4/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 509/2009–10/ निगरानी में पारित आदेश दिनांक 01–10–2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता सन् 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा ~~50~~ 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदिका ने तहसीलदार अशोकनगर को आवेदन देकर मॉग की कि ग्राम रातीखेड़ा स्थित भूमि सर्वे कमांक 701 रकबा 0.721 हेक्टर पर उसका 15–16 साल से निरन्तर कब्जा चला आ रहा है एवं कृषि करके लाभ प्राप्त कर रही है । ग्राम पंचायत को व्यवस्थापन में कोई आपत्ति नहीं है इसलिये वादग्रस्त भूमि का व्यवस्थापना किया जावे । तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 43/अ–19/2003–04 पंजीबद्ध किया जाकर विचाराधीन पारित आदेश 11–5–2004 से वादगस्त भूमि आवेदिका के नाम व्यवस्थापित कर दी । व्यवस्थापनकर्ता तहसीलदार के उपरांत अन्य तहसीलदार के पदस्थ होने पर उन्होंने प्रकरण का परीक्षण कर अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के व्यवस्थापन में अनियमितताऐंक करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण में जॉच कर तदाशय का प्रतिवेदन कलेक्टर अशोकनगर को प्रस्तुत किया । कलेकटर अशोक नगर ने प्रथमदृष्टया अनियमिततायें पाये जाने के आधार पर आवेदिका के विरूद्ध स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की तथा आवेदिका को बचाव का समुचित अवसर देकर सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 8–11–2006 पारित किया एवं वादगस्त भूमि का आवेदिका के हित में किया गया व्यवस्थापन निरस्त कर दिया । इसी आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 509/2009–10/ निगरानी में दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 1 10–2010 से निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–10–2010 से दुखित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3– प्रकरण में आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये जिसमें मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में में कानूनी भूल की है कि आवेदिका का कब्जा नहीं है आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय में संवत् 2033 से 2050 के खसरा की प्रति प्रस्तुत की जिसमें पुनरीक्षणकर्ता के ससुर दीवानसिंह का कब्जा दर्ज है जिसके आधार पर तहसीलदार अशोकनगर ने व्यवस्थापन किया है जो विधि विधान सम्मत् होकर स्थिर रखे

जाने योग्य है । आवेदिका विशेष उपबन्ध अधिनियम के अन्तर्गत पात्रता रखती है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार न करके भूल की है क्योंकि आवेदिका के नाम से परिवार में कोई भूमि नहीं है । आवेदिका भूमिहीन है इसलिये अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है । तर्क में यह भी बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानने में भी भूल की है कि ग्राम रातीखेड़ा के सर्वे कमांक 701 रकबा 0.721 हेक्टर, यह रकबा 0.500 हेक्टर से अधिक है तथा स्वतंत्र बंटन योग है तथा व्यवस्थापित की गई भूमि सर्वे कमांक 701 के आसपास उसके खाते की भूमि स्थित नहीं है इस संबंध में आवेदिका ने पटवारी ग्राम द्वारा प्रदाय अक्श की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर लेख किया था कि व्यवस्थापित किये गये सर्वे कमांक 701 उसके पति एवं पूर्व में उसके ससुर के नाम भूमि स्वामित्व की भूमि सर्वे कमांक 702 व 703 से लगी होकर खाते के बीच में स्थित है तथा आवेदक के हित में अधिक उपयोगी होकर सरलतापूर्वक कृषि कार्य हेतु उपयुक्त है । इन बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय ने विचार करने में भूल की है क्योंकि सर्वे कमांक 701 यदि दो भागों में विभाजित किया जाता है तो वह कृषि कार्य के लिये व्यवहारिक रूप से अनुपयुक्त हो जायेगा और कोई भी कृषक सुगमता पूर्वक उक्त भूमि से लाभान्वित नहीं हो पायेगा । इसलिये तहसीलदार ने व्यवहारिक रूप से आवेदिका को कृषि हेतु उपयुक्त पाने पर पात्रतानुसार अधिक हितबद्ध पाते हुये व्यवस्थापन किया है जो स्थिर रखने योग्य है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

4– अनावेदक शासन की ओर से उनके पेनल अभिभाषक द्वारा यही कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिवत् एवं उचित होने से स्थिर रखा जाकर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से

अवलोकन किया गया । प्रकरण में कलेक्टर तथा अपर आयुक्त ने उन कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है जिन पर उन्होंने आवेदिका के पक्ष में किया व्यवस्थापन अवैध माना है। आवेदिका भूमिहीन कृषि श्रमिक नहीं है । प्रश्नाधीन भूमि नगरीय क्षेत्र से लगी है तथा बाह्य नजूल की श्रेणी में आती है अतः इस पर वर्ष 1984 का दखल रहित अधिनियम लागू नहीं होता है । इन सब बिन्दुओं को आवेदिका ने अपने निगरानी मेमों में अस्वीकार नहीं किया है । स्पष्ट है कि अधीनस्थ दोनों न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष/तथ्यों तथा वैधानिक प्रावधानों पर आधारित है ।

6– उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर